

रायायालय राजस्व पाण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० रिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4162-तीन/13, 4167-तीन/13 एवं 4170-तीन/13
विरुद्ध आदेश दिनांक 4-5-10 पारित द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण
क्रमांक 82/निगरानी/2009-10.

निगरानी 4162-तीन/13

- 1- संतकुमार खरवा पिता स्व. रामदीन खरवा
2- श्रीमती चंचल खरवा पत्नी श्री संतकुमार खरवा
दोनों निवासी वार्ड नं. 16 तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र.

----- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

----- अनावेदक

निगरानी 4167-तीन/13

- 1- गौरीशंकर गुप्ता तनय स्व. जुगुलकिशोर गुप्ता
2- श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी गौरीशंकर गुप्ता
उपरोक्त दोनों निवासी वार्ड नं. 6 पाण्डव नगर
शहडोल तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र.

----- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

----- अनावेदक

निगरानी 4170-तीन/13

- श्रीमती तुलसा वर्मन पति श्री झनकनारायण वर्मन
निवासी भुईवाध वार्ड क. 30
तहसील सोहागपुर थाना शहडोल
जिला शहडोल म.प्र.

----- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

----- अनावेदक

(M)

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता आवेदक (तीनों प्रकरणों में)
श्री एच. के. अग्रवाल, अधिवक्ता, अनावेदक (तीनों प्रकरणों में)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को पारित)

ये तीनों निगरानियां आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/2009-10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-10 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 60 के तहत प्रस्तुत की गई है। तीनों प्रकरणों के तथ्य समान होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ प्रकरण में तर्क किए जाने के कारण इन तीनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/93-94 में पारित आदेश दिनांक 31-8-94 के विरुद्ध श्रीमती शौल कटारे द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जिसमें आयुक्त द्वारा प्रकरण प्र०क्र 71/निगरानी/03-04 पंजीबद्ध कर दिनांक 13-7-04 को यथारिथति का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती कुसुमलता सिंह द्वारा राजस्व मंडल में निगरानी क्रमांक 1173-एक/04 पेश की गई जिसमें राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 3-7-09 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रकरण में प्रश्नाधीन 74 एकड़ भूमि के किसी भी हिस्से के किसी भी अगले नामांतरण पर रोक लगाई जाती है।

राजस्व मंडल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-10 द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी करने, म.प्र. शासन को पक्षकार बनाने के साथ-साथ प्रश्नाधीन भूमि पर जो भी विक्रय या नामांतरण हुए हैं उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं रहना चाहिए यह मानते हुए संहिता की धारा 32 एवं 52 के तहत तहसीलदार द्वारा किए गए 13 नामांतरण को स्थगित करते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि खूरा, कत्तल एवं सुन्दर बेगा तथा म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए। आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध ये निगरानियां इस न्यायालय में पेश की गई हैं।

3— आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इन प्रकरणों में जो आवेदकगण हैं उनके द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबरों में से कुछ सर्वे नंबरों की भूमियों को विकेता महेन्द्र कुमार सिंह से विभिन्न दिनांकों में पंजीकृत विकायपत्र से कय किया गया है। सर्वे नं. 399 रकवा 6.45 एकड़ भूमि आवेदिका तुलसा बर्मन द्वारा दिनांक 6.8.03 को, सर्वे नं. 401 रकवा 2.18 एकड़ एवं सर्वे नं. 397 रकवा 1.15 एकड़ भूमि आवेदक संतकुमार एवं श्रीमती चंचल खरवा द्वारा एवं सर्वे नं. 391 रकवा 9.15 एकड़ तथा सर्वे नं. 392 रकवा 1.12 एकड़ आवेदक गौरीशंकर एवं श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिनांक 9.3.06 को कय की गई हैं। विकायपत्र के आधार पर आवेदकों का विधिवत नामांतरण किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किए जाने से पूर्व आवेदकों को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा आवेदकों द्वारा कय की गई भूमियों पर खूरा, कत्तन एवं सुंदर बेगा एवं म.प्र. शासन के नाम अस्थाई रूप से अंकित करने के आदेश दे दिए हैं जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर अवैधानिक हैं। यह भी कहा गया कि जिन व्यक्तियों के नाम भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं उनमें से खूरा की मृत्यु बहुत समय पूर्व हो चुकी है।

यह तर्क दिया गया है कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-7-09 में यह आदेश दिए हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रकरण में प्रश्नाधीन 74 एकड़ भूमि के किसी भी हिस्से के किसी भी अगले नामांतरण पर रोक लगाई जाती है। इसका आशय स्पष्ट है कि राजस्व मंडल के आदेश के बाद किसी व्यक्ति का प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण नहीं किया जायेगा यह आशय कदापि नहीं निकाला जा सकता कि पूर्व में जिन व्यक्तियों के नामांतरण हुए हैं, उनका नाम विलोपित कर भूमि अन्य व्यक्तियों तथा म.प्र. शासन के नाम अंकित कर दी जाये। अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 0 273 (उच्च न्यायालय खंडपीठ) एवं 1988 आर.एन. 187 उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आयुक्त ने अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, प्रकरण का अंतिम निराकरण अभी गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का


समुचित अवसर उपलब्ध है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनरथ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5— उभयपक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण अपर कलेक्टर, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/निगरानी/93—94 में पारित आदेश दिनांक 31—8—94 से प्रारंभ हुआ है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती शैल कटारे द्वारा अधीनरथ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 1—7—04 को रथगन आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया। राजस्व मंडल ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 1173—एक/04 में दिनांक 3—7—09 को आदेश पारित करते हुए निगरानी निराकृत कर प्रकरण निम्न निर्देशों के साथ अधीनरथ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है :—

- 1— लगभग 10 वर्ष के विलंब के संबंध में विलंब माफी के विषय पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथा प्रत्येक विलंब के दिवस के युक्तियुक्त कारण की विवेचना कर धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन का निराकरण किया जाये।
- 2— दिनांक 13—8—94 को अपर कलेक्टर, शहडोल द्वारा पारित आदेश जिसमें म.प्र. शासन पक्षकार था किंतु उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी में उन्हें संयोजित नहीं किया गया है, इसमें म.प्र. शासन को संयोजन किए जाने के बिंदु पर विधिसम्यक निर्णय लें।
- 3— उक्त के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रकरण में प्रश्नाधीन 74 एकड़ भूमि के किसी भी हिस्से के किसी भी अगले नामांतरण पर रोक लगाई जाती है।

राजस्व मंडल द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि राजस्व मंडल द्वारा अधीनरथ न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन का निराकरण उभयपक्षों को विधिवत सुनने के उपरांत कारण सहित निराकरण करने, म.प्र. शासन को पक्षकार के रूप में संयोजित करने के बिंदु पर विधिसम्मत निर्णय हेतु कहा गया है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रश्नाधीन भूमि के अगले नामांतरण करने पर रोक लगाई गई है। राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश में अधीनरथ न्यायालय को इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व रिकार्ड में खूरा, कत्तन

एवं सुन्दर बेगा तथा शासन का नाम अरथाई रूप से दर्ज किया जाये । अतः इस प्रकरण में आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 32 एवं 52 के तहत प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व रिकार्ड में खूरा, कत्तन एवं सुन्दर बेगा तथा शासन का नाम अरथाई रूप से दर्ज करने के जो आदेश दिए गए हैं वे उचित, न्यायिक एवं राजस्व मंडल के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण, जिनका नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित था, को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया – नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया । इसी प्रकार का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 187 में दिया गया है, इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि खसरा प्रविष्टियां – परिवर्तन – हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जा सकता । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 4-5-10 जहां तक प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व रिकार्ड में खूरा, कत्तन एवं सुन्दर बेगा तथा म.प्र. शासन का नाम अरथाई रूप से दर्ज करने का प्रश्न है, उस सीमा तक निररत किया जाता है तथा तीनों निगरानियां रखीकार करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 3-7-09 को पारित आदेश के अनुसार प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही करते हुए प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करें । तहसीलदार को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण किये जाने तक राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व मंडल द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 3-7-09 की स्थिति बनाए रखते हुए आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि पूर्ववत् दर्ज की जाये ।



(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर